MRA AN USIUS The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 313] No.313] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2011/ज्येष्ठ 24, 1933

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2011/JYAISTHA 24, 1933

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2011

सा.का.नि. 453(अ).—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उप-धारा (1), (2), (5) तथा (8) एवं धारा 609 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार कम्पनी नियमावली, 1956 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :—

- 1. (1) इन विनियमों को कम्पनी (संशोधन) विनियम, 2011 कहा जाएगा ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कम्पनी नियमावली, 1956 में,
 - 1. विनियम 2 में खण्ड 1 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"(घ) 'क्षेत्रीय निदेशक' का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे केन्द्र सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में निम्नानुसार संबंधित क्षेत्रों के लिए नियुक्त किया गया हो :

(1)	(2)	(3)
(i) क्षेत्रीय निदेशक	उत्तरी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, नौएडा (गौतम बुद्ध नगर)	हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं चंडीगढ संघ शासित क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
(ii) क्षेत्रीय निदेशक	उत्तर पश्चिमी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, अहमदाबाद	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र ।
(iii) क्षेत्रीय निदेशक	पश्चिमी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, मुम्बई	महाराष्ट्र, गोवा राज्य तथा दमन एवं दीव संघ शासित क्षेत्र
(iv) क्षेत्रीय निदेशक	दक्षिणी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार संघ शासित क्षेत्र ।
(v) क्षेत्रीय निदेशक	पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्य ।
(vi) क्षेत्रीय निदेशक	दक्षिण पूर्व क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, हैदराबाद	कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश, राज्य एवं लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र।"

[फा. सं. 5/18/2005-सीएल-v]

अविनाश कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमन भारत के राजपत्र में संख्या का.नि.आ. 432ख, दिनांक 18-2-1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे एवं निम्नलिखित द्वारा उनमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए :—

1.	सं. सा.का.नि. 188	दिनांक 9-1-1958	7.	सं. सा.का.नि. ३६७(अ)	दिनांक 31-5-1991
2.	सं. सा.का.नि. 399	दिनांक 24-3-1962	8.	सं. सा.का.नि. 924 (अ)	दिनांक 14-12-1992
3.	सं. सा.का.नि. 1850	दिनांक 1-12-1966	9.	सं. सा.का.नि. 610(अ)	दिनांक 23-9-2005
4.	सं. सा.का.नि. 1445	दिनांक 16-9-1967	10.	सं. का.आ. 1291 (अ)	दिनांक 30-7-2007
5.	सं. सा.का.नि. 668	दिनांक 10-6-1973	11.	सं. सा.का.नि. 866 (अ)	दिनांक 29-10-2010
6.	सं. सा.का.नि. 523	दिनांक 11-7-1989	12.	सं. सा.का.नि. 304(अ)	दिनांक 6-4-2011

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2011

G.S.R. 453 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (5) and (8) of Section 25 and Sub-section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Companies Regulations, 1956, namely:—

- 1. (1) These Regulations may be called the Companies (Amendment) Regulations, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies Regulations, 1956,
 - 1. In Regulation 2, after clause 1 the following clause shall be substituted, namely:—
- "(d) 'Regional Director' means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director for the respective regions as under:—

•		
(1)	(2)	(3)
(i) Regional Director	North Region Directorate	States of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh,
	Headquarter at Noida	Uttar Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir
•	(Gautam Budh Nagar)	and Union Territory of Chandigarh and National
	•	Capital Territory of Delhi.
(ii) Regional Director	North Western Region	States of Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh,
	Directorate Headquarter	Chhattisgarh, and Union Territory of Dadara and
	at Ahmedabad	Nagar Haveli.
(iii) Regional Director	Western Region Directorate	States of Maharashtra, Goa and Union Territory of
•	Headquarter at Mumbai	Daman and Diu.
(iv) Regional Director	Southern Region Directorate	States of Tamilnadu and Union Territory of
	Headquarter at Chennai	Puducherry and Union Territory of Andaman and
		Nicobar.
(v) Regional Director	Eastern and North Eastern	States of West Bengal, Bihar, Jharkhand and Orissa,
	Region Directorate	Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland,
	Headquarter at Kolkatta	Mizoram, Manipur and Tripura.
(vi) Regional Director	South East Region Directorate	States of Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh and
	Headquarter at Hyderabad	Union Territory of Lakshdweep."
		[EN- 6/10/0006 CL 1/]

[F. No. 5/18/2005-CL.V]

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 432B, dated 18-2-1956 and subsequently amended by:—

	subsequently amende	a by .—			
1.	No. G. S.R. 188	dated 9-1-1958	7.	No. G.S.R. 367 (E)	dated 31-5-1991
2.	No. G.S.R. 399	dated 24-3-1962	8.	No. G. S.R. 924(E)	dated 14-12-1992
3.	No. G S.R. 1850	dated 1-12-1966	9.	No. G. S.R. 610(E)	dated 23-9-2005
4.	No. G.S.R. 1445	dated 16-9-1967	10.	No. S.O. 1291(E)	dated 30-7-2007
5.	No. G.S.R. 668	dated 10-6-1973	11.	No. G. S.R. 866(E)	dated 29-10-2010
6.	No. G.S.R. 523	dated 11-7-1989	12.	No. G. S.R. 304(E)	dated 6-4-2011.